फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

आदित्य मोहन बनाम बाबूलाल वगै0

ंख्या : 72/2018

नांक ज्ञा या र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बह समे प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.34है0 स्थित ग्राम मूण्डला तहसील जमवारामगढ मे है अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 की भूमि खसरा नम्बर 285 है जो अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की भूमि खसरा नम्बर 123 गै0मु0रास्ता खसरा नम्बर 183 से लगती है। अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 285, 123 के पूर्व खसरा नम्बर 64/4 रकबा 10 बिस्वा थे एवं खसरा नम्बर 164/4 के साबिक खसरा नम्बर 159 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 160 रकबा 4 बिस्वा थे। इस प्रकार खसरा नम्बर 159, 160 का कुल रकबा 10 बिस्वा था जिसमें खसरा नम्बर 185 पूर्व खसरा नम्बर 159 मे से गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 183 कायम किया जाने के बाद कुल 6 बिस्वा में से 4 बिस्वा भूमि रास्ते मे चली गयी शेष 2 बिस्वा भूमि ही मौके पर है एवं रिकार्ड मे भी 2 बिस्वा भूमि (वर्तमान खसरा नम्बर 285 रकबा 0.02है0) ही अप्रार्थीगण के पास मौके पर है एवं रिकार्ड में भी वर्तमान खसरा नम्बर 285 रकबा 0.02है0 भूमि दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु रिकार्ड मे भूमि कम नही की जाकर 0.05है0 भूमि राजस्व विभाग द्वारा दर्ज की गयी है रास्ते में गयी भूमि को कम नही किया गया तथा नक्शा त्रुटिपूर्ण अंकित किया जाकर नक्शें में भी रकबा रास्ते का कम नही किया गया और 285 के उत्तर दिशा की और प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 286 मे दर्शा दिया गया है जिसे विवाद हो गया है। अतः ग्राम मूण्डला मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 285 एवं 286 का नक्शा दुरूस्त कर नजरी नक्शे मे दर्शित प्रकार से दुरूस्ती की जाकर खसरा नम्बर 285 का रकबा 0.03है0 अनुसार नक्शा कायम कर एवं रिकार्ड मे रकबा 0.03है0 दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अवगत कराया कि साबिक खसरा नम्बर 64/4 रकबा 10 बिस्वा मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज है। हाल सेटलमेंट के दौरान साबिक खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 285, 183, 123 बने है जिनका क्षेत्रफल खसरा नम्बर 285 रकबा 0.05है0, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.04है0, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.04है0 मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज है। खसरा नम्बर 183 गै0मु0रास्ते में प्रार्थीगण की भूमि 0.04है0 कम हुई थी। अप्रार्थीगण के गै0मु0रास्ते मे जाने के बाद खसरा नम्बर 285 रकबा 0.05है0 , खसरा नम्बर 123 रकबा 0.04है0 कुल रकबा 0.09है0 भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे जाने के बाद भूमि राजस्व रिकार्ड में 0.09है0 भूमि शेष रहती है। साबिक खसरा नम्बर 64/4 रकवा 10 बिस्वा व हाल सेटलमेट के खसरा नम्बर 183, 123, 285 रकबा 0.13है0 दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर 64/4 व हाल खसरा नम्बर 123, 183, 285 का रकवा मिलान होने के कारण खसरा नम्बर 285 का रकबा 0. 02है0 किया जाना संभव नही है। अतः प्रकरण दुरूस्तनीय योग्य नही है। अतः वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस का मनन करने एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार का जवाव एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार करना उचित नही समझते है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम को अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर	